दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
उपायुक्त का कार्यालय
नजफगढ़ क्षेत्र

दिनाँक 15/11/21

क्र स0. सहा0 आयुक्त/न0 क्षेत्र/2021/723

नीलामी सूचना

सामान्य शाखा, नजफगढ जोन और स्वास्थ्य विभाग/ एनजीजेड में गैर दावाकृत मदों/सामानों की नीलामी डीएमसी अधिनियम 1957 की धारा 322 के तहत सयुंक्त रुप से 25.11.2021 को दोपहर 11:00 बजे जोनल स्टोर, रेवला खान पुर नजफगढ़ नजदीक झटीकरा मोड़ में इस क्षेत्र के लिए गठित समिति की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक इच्छुक निविदाकार को बोली देने से पहले धरोहर राशि के रुप मे 70,000 (सत्तर हजार रुपये) का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा कराना होगा, आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नाम से देय होगा। जिसे नीलामी पूरी होने के बाद असफल निविदाकारो को वापस कर दिया जायेंगा। सफल निविदाकारो की धरोहर राशि को हथौडे की चोट पर जमा होने वाली बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि के रुप में जमा कराया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता को हथौडे की चोट पर बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी और बोली की शेष राशि अगले कार्य दिवस पर दोपहर 12:30 बजे तक बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने में विफल रहने या अगले कार्य दिवस पर दोपहर 12:30 बजे तक जमा नही करा पाने के मामले मे बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि या दोनों जब्त हो जायेगी और बोलीदाता को इसके बाद दावे का कोई अधिकार नही होगा।

वस्तुओं की नीलमी जहाँ है जैसा है उसी आधार पर की जायेगी। अध्यक्ष को कोई कारण बताए बिना किसी भी बोली को रदद करने का अधिकार है

सफल बोलीदाता को नकद रुप से बोली की पूरी राशि के भुगतान के बाद मदों को तुरत स्टोर से हटाना होगा, अन्यथा दिल्ली नगर निगम/नजफगढ़ क्षेत्र पर नीलामी की वस्तुओ की कोई जिम्मेदारी नही हेागी।

मदों को अधोहस्ताक्षरी/प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, नजफगढ़ क्षेत्र (ढासा बस स्टैन्ड के पास, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043) से किसी भी कार्य दिवस पर अनुमति लेकर देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त
नजफगढ़ क्षेत्र

AO/IT